नायलॉन चाइनीज मांझे का कहर जारी, भिलाई में फिर कटा एक युवक का गला, दो दिन आईसीयू में लड़ता रहा मौत से जंग

भिलाई | आरएनएस

छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में नायलॉन चाइनीज मांझा का कहर बदस्तूर जारी है। नायलॉन चाइनीज मांझा के कारण भिलाई में फिर एक युवक का गला कट गया। दो दिन आईसीयू में मौत से जंग जीतने के बाद युवक अभी खतरे से बाहर है। बता दें कि इस नायलॉन चाइनीज मांझा से छत्तीसगढ़ में पहली मौत दुर्ग जिले में हुई थी। कई लोग घायल हुए हैं जिसमें बच्चे भी शामिल है। वहीं नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने नायलॉन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की बात कही है।

25 दिसंबर को कोहका हाउसिंग बोर्ड भिलाई निवासी एक युवक का गला नायलॉन चाइनीज मांझा से कट गया। दो दिन भिलाई स्थित स्पर्श अस्पताल के वृद्धष्ट में मौत से जंग जीतने के बाद हालात अभी सामान्य है। रामेश्वर बेले (36 वर्ष) पिता श्रीराम बेले ने बताया कि 25 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे से बाइक पर अपनी पत्नी नीतू बेले के साथ सेक्टर 7 से अपने घर कोहका हाउसिंगबोर्ड जा रहे थे। सुपेला लक्ष्मी मार्केट के पास एक पतंग कटकर आया, जिसमें नायलॉन चाइनीज मांझा लगा हुआ था। वाहन चलाने के दौरान नायलॉन चाइनीज मांझा उनके गले के सामने आ गया। उसे एक हाथ से हटाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। चाइनीज मांझा शरीर के संपर्क में आते ही गला कट गया। उनकी पत्नी देखा कि गले से खून निकल रहा है। रामेश्वर ने इसकी सूचना अपने परिजनों दी और उन्हें इलाज के लिए रामनगर स्थित स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां वे दो दिन आईसीयू में रहे। रामेश्वर ने बताया कि उनके गले में गहरा घाव हो गया था और टांके भी लगे है। रामेश्वर बेले ने शासन प्रशासन से नायलॉन चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाने और मौत का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

मामला क्रमांक-1

जनवरी 2024 को चरोदा में चाइनीज मांझे से गला कटने से एक युवक की मौत हो गई। जी केबिन निवासी अज्जू (18 साल) पुत्र विरेंद्र सोमवार सुबह करीब 10.30 बजे अपने एक रिश्तेदार बिहान (5 साल) के साथ बाइक पर किसी काम से निकला था। इस दौरान भिलाई-3 में देवबलौदा जाने वाली रोड पर कुछ लडके पतंग उड़ा रहे थे। तभी वहां से बिहान के साथ अज्जू बाइक पर निकला। अचानक से पतंग का मांझा बाइक चला रहे अज्जू के गले में फंसा और उसका गला कट गया। इसके बाद वह और बिहान बाइक सहित सडक पर जा गिरे। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। वहां अज्जू और बिहान की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान अज्जू ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि मांझे से गला कटने से खून काफी बह गया था। इसके चलते युवक को बचाना मुश्किल हो गया था।

मामला क्रमांक-2

जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिता के साथ स्कूटी में जा रहे एक 5 वर्षीय बच्चे की चाइनीज मांझा के कारण सांस की नली कट गई। जानकारी के अनुसार महावीर कॉलोनी दुर्ग निवासी 5 साल का बच्चा अपने पिता विकास जैन के साथ बाजार जा रहा था। इस दौरान पतंग का चाइनीस मांजा स्कूटी पर पीछे बैठे बच्चे के गले में फंस गया। स्कूटी आगे बढ़ने के साथ ही तनाव बढ़ते जाने से उसकी सांस की नली व दिमाग से हार्ट तक खून पहुंचाने वाली जुगलर वेन कट गई। खून निकलता देख बच्चे के पिता ने उसे नेहरू नगर के पल्स हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर पहुंचे। सबसे पहले वेंटिलेटर से बच्चे को सांस देने का इंतजाम किया। डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी कर नली व वेन को जोड़ा। 3 दिन तक इलाज चलने के बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

मामला क्रमांक-3

25 दिसंबर 2024 को लक्ष्मी मार्केट सुपेला में कोहका हाउसिंगबोर्ड निवासी रामेश्वर बेले का चाइनीज मांझा के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया। गले में कई टांके लगे है।

छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में है प्रतिबंध

शहर की दुकानों पर धड़ल्ले से प्रतिबंधित नायलॉन चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। दुर्ग जिले के कई बड़े मार्केट सहित गली मुहल्लों में व्यापारियों द्वारा मौत का सामान बेचा जा रहा है लेकिन यहां कभी कोई छापा नहीं पड़ा। कभी प्रतिबंधित डोर को जब्त कर नगर निगम अमले ने कोई कार्रवाई नहीं की। एनजीटी ने भी इस पर बैन कर रखा है। पर चाइनीज मांझे पर लगाम लगाने में स्थानीय प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। वहीं करीब 7-8 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पक्षियों, इंसानों और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के उल्लंघन पर 5 साल की जेल, एक लाख जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने चीनी धागों की खरीद और बिक्री के मद्देनजर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर इसे दंडनीय अपराध करार दिया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराओं का उपयोग करते हुए इसकी खरीद, बिक्री, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति और उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी आदेश जारी किया था।

महत्वपूर्ण एवं खास

निजी वाहन में पुलिस का लोगो, कार चालक गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। प्राईवेट वाहन में पुलिस का नेम प्लेट, सायरन, ब्लेक फिल्म एवं मोनो लाईट लगाकर उपयोग करते कार चालक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। वाहन चालक द्वारा बताया गया कि रायपुर एयरपोर्ट से बुकिंग लेकर दुर्ग आ रहा था। वाहन मालिक के उपर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना खुर्सीपार के सुपुर्द किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार ऐसे संदिग्ध वाहन को पकड़ कर कार्यवाही की जा रही है। जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक , दुर्ग निर्देश पर एवं ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (यातायात) के मार्ग दर्शन तथा सदानंद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात) के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई।

ट्रक-कार में भिड़ंत, दोनों वाहनों में लगी आग

कोरबा-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अभी-अभी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. अंबिकापुर- बिलासपुर नेशनल हाईवे सड़क पर ट्रक और कार की आपस में भिड़ंत हो गई जिससे दोनो वाहनों में आग लग गई. ट्रक कार के ऊपर पलट गई. वहीं नीचे फंसी कार में दो लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. राहगिरों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बांगो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. वहीं इस हादसे की चपेट में कौन आए, इसका भी पता भी पता लगाया जा रहा है. पूरी घटना कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के लमना गांव का है।

पुरानी रंजिश पर कर दी हत्या, चंद घंटों में पुलिस ने किया गिरफ्तार

हथबंद-रायपुर (आरएनएस)। दिनांक 28.12.2024 को प्रार्थी किशन निषाद निवासी ग्राम खपराडीह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया की आरोपी पंकज कुमार मनहरे द्वारा इसके भतीजा पवन निषाद के पेट एवं शरीर के अन्य भाग में चाकू एवं डंडा से ताबड़तोड़ घातक वारकर, उसकी हत्या कर दी गई है, कि रिपोर्ट पर थाना हथबंद में अपराध क्रमांक 244/2024 धारा 103(1),238 बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना हथबंद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी पंकज कुमार को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पुरानी रंजिश पर से चाकू एवं डंडा से वारकर मृतक की हत्या करना स्वीकार किया गया साथ ही आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं डंडा जप्त किया गया है। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 28.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपी- पंकज कुमार मनहरे उम्र 20 साल निवासी ग्राम खपराडीह (थिवनपुरी) थाना हथबंद। मृतक का नाम- पवन निषाद उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खपराडीह थाना हथबंद।

रामानुजगंज : पलटन घाट में सैलानियों की भीड़ उमड़ी

रामानुजगंज | आरएनएस

नगर सीमा से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पलटन घाट में नए साल के आगाज के पूर्व पुराने साल के विदाई में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ता प्रारंभ हो गई है आज बड़ी संख्या में झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से सैलानी यहा पिकनिक मनाने पहुंचे थे। पलटन घाट में सैलानियों की उमड़ने वाली भीड़ के मध्य नजर नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल के पहल पर यहां पर नगर पंचायत के द्वारा पूरे परिसर एवं रास्ते की साफ सफाई कराई गई।

गौरतलब है कि पलटन घाट जिले के प्रमुख पिकनिक स्पॉटों में एक है यहां की नैसर्गिक खूबसूरती देखते बनती है। बड़े-बड़े पत्थरों की अद्भुत श्रृंखला के बीच से कन्हर नदी निकलती है। पलटन घाट के एक ओर छत्तीसगढ़ और दूसरी ओर झारखंड है। पलटन घाट में वर्ष भर सैलानि पिकनिक मनाने पहुंचते रहते हैं परंतु पुराने वर्ष की विदाई में एवं नए वर्ष के आगाज में सैलानियों का जन सैलाब यहां उमड़ पड़ता है 20 दिसंबर से ही यहां पर प्रतिदिन सैकड़ो की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं वही 25 दिसंबर के बाद तो यहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है। आज नगर पंचायत के द्वारा पूरे परिसर की साफ सफाई कराई जा रही थी। सफाई दरोगा बेचू प्रजापति ने बताया कि नदी तक जाने वाले रास्ते एवं पलटन घाट की साफ सफाई आज शाम तक पूरी कर दी जाएगी। काले लाल अद्भुत पत्थर है आकर्षण का केंद्र पलटन घाट अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए तो जानी ही जाती है वही यहां पत्थरों की अद्भुत श्रृंखला भी देखते बनती है यहां पत्थर के लाल रंग वैसे हैं जैसे की लाल रक्त हो पहली बार आने वाले लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक रहता है। यहां लाल एवं काले पत्थर हैं।

1 जनवरी को उमड़ता है जनसैलाब पलटन घाट में 1 जनवरी को विहंगम नजारा देखने को मिलता है 1 जनवरी को ऐसी स्थिति हो जाती है वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। पैदल हजारों की संख्या में लोग यहां आना-जाना करते हैं। झारखंड के गढ़वा, रंका डाल्टनगंज, चैनपुर सहित अन्य शहरों से हजारों लोग 1 जनवरी को यहां पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। बुजुर्ग बच्चों के लिए उतरना रहता है खतरनाक पलटन घाट जाने के लिए सीसी रोड का निर्माण करीब डेढ़ दशक पहले तो कर दिया गया है वही पलटन घाट में उतरने के लिए सीढ़ी बनाए गए हैं परंतु सीढ़ी की ऊंचाई अधिक है जिससे बच्चों एवं बुजुर्गों को उतारना काफी मुश्किल जाता है बच्चों एवं बुजुर्गों के सहूलियत के लिए यहां पर उतरने की व्यवस्था बनवाया जाना आवश्यक है। नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने बताया कि पलटन घाट नगर पालिका रामानुजगंज के अंतर्गत नहीं आता है। परंतु रामानुजगंज से बड़ी संख्या में लोगे यहां पिकनिक मनाने पहुंचते हैं जिस कारण प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत के द्वारा ही साफ-सफाई कराया जाता रहा है वही इस बार भी नगर पंचायत के द्वारा पूरे परिसर की साफ सफाई कराई जा रही है।

दोस्त के सूने मकान में चोरी करने वाला गिरफ्तार

भिलाई-रायपुर | आरएनएस

दिनांक 27.12.2024 को प्रार्थी शांति लाल साहू निवासी नवीन चैक भाठापारा कुरूद द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात चोर घर में प्रवेश कर सोने चांदी के जेवर व अन्य सामाग्री चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में शत-प्रतिशत बरामदगी करते हुए त्वरित निराकरण करने का निर्देश प्राप्त है एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में जामुल पुलिस आरोपी के तलाश में लग गई। प्रार्थी के घर के आस-पास लगे सीसीटीव्ही कैमरो के खंगाला गया, इसी दौरान प्रार्थी के बेटे का दोस्त विरेन्द्र सेन के रूप में आरोपी का पहचान हुआ। विरेन्द्र सेन से पूछताछ करने पर पुलिस को गुमराह करने लगा जिसे बारिकी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थी के घर में चोरी करना बताया। आरोपी के कब्जे से साने चांदी के जेवरात व अन्य सामान कीमती 48000 रूपये को बरामद कराया। आरोपी को आज दिनांक 28.12.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

चक्काजाम कर ट्रक जलाने वाले दो गिरफ्तार

भिलाई-रायपुर | आरएनएस

दिनांक 12.07.20219 के रात्रि 20:45 बजे नंदिनी रोड ढौर चैक जामुल के पास सडक दुर्घटना में ग्राम ढौर का रहने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ग्रामीणों द्वारा आने जाने वाले वाहनो को रोककर चक्काजाम किये थे इसी दौरान आरोपियो द्वारा रोके गये 5 हाईवा वाहनो को आग लगाया गया तथा आग पर काबू पाने आये फायर ब्रिगेड वाहन को तोडफोड़ कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया। उक्त संबंध में थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश में एव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल के मार्ग दर्शन में जामुल पुलिस आरोपियों की शिनाख्तगी करते हुए आरोपी जागेश्वर उर्फ गोलू चद्रवंशी, अमीत कुमार बंजारे को गिरफ्तार कर आज दिनांक 28.12.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। उक्त प्रकरण 06 वर्ष पुराना है तथा आरोपियो के बारे में लगातार पता तलाश किया जा रहा था, 06 वर्ष बाद आरोपियों शिनाख्तगी करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय, उनि पुनित राम सूर्यवंशी, सउनि महफूज खान, प्र.आर. अनिल सिंह, आर. संजय मिश्रा, रूपनारायण बाजपेयी, चन्द्रभान सिंह, जी. सामुएल, राधे यादव का विशेष योगदान रहा।

आरोपी - 01. जागेश्वर उर्फ गोलू चन्द्रवंशी पिता राम दास चन्द्रवंशी उम्र 38 साल निवासी सतनामी मोहल्ला ग्राम ढौर थाना जामुल 02. अमित कुमार बंजारे पिता परमानंद बंजारे उम्र 33 साल निवासी ग्राम ढौर थाना जामुल।

गुस्साई पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काट कर उतारा मौत के घाट

सरगुजा-रायपुर | आरएनएस

सरगुजा के मैनपाट में पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को तीन दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी ने बताया कि पति उस पर अवैध संबंध को लेकर शक करता था और मारपीट करता था। दोनों ने साथ में शराब पी और विवाद होने पर पत्नी ने पति पर कुल्हाड़ी से कई वारकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नर्मदापुर में नईहारो मांझी (22) ने पति बली राम मांझी (26) की 24 दिसंबर की रात 11 बजे टांगी से गले और कनपटी पर वार किया। पति बेहोश होकर गिर गया तो नईहारो मांझी भाग निकली। अत्यधिक खून बह जाने के कारण बली राम मांझी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर 25 दिसंबर को पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। बली राम मांझी और उसकी पत्नी नईहारो दोनों अलग रहते थे। नईहारो के फरार होने के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्ट्या हत्या का संदेही होने के कारण उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने नईहारो मांझी को मैनपाट क्षेत्र के ही ग्राम कंडराजा से गिरफ्तार किया है। वह एक कोरवा ग्रामीण के घर छिपी थी। पुलिस पूछताछ में नईहारो मांझी ने पुलिस को बताया कि उसका पति बली राम उस पर अवैध संबंध होने का शक करता था। शादी के तीन सालों बाद भी उनकी संतान नहीं हुई थी। इसे लेकर वह हमेशा धमकी देता था कि वह दूसरी शादी कर लेगा। इसे लेकर 24 दिसंबर की रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ तो उसने टांगी से बली राम मांझी पर कई हमला कर दिया। घटना के बाद वह फरार होकर छिपकर रह रही थी। कमलेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी नईहारो मांझी के खिलाफ धारा 103(1) का अपराध दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपी पहुंचे जेल

राजनांदगांव-रायपुर | आरएनएस

दिनांक 27.12.2024 को प्रार्थिया रीतिका बांसफोड़ पिता राजेश बांसफोड़ उम्र 22 वर्ष साकिन बालाजी चैक डब्ल्यू0आर0एस0 कॉलोनी रायपुर थाना खमतराई जिला रायपुर की थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि नया बस स्टैण्ड राजनांदगांव में स्वीपर मोहल्ला के पास दीपक तिवारी का पान ठेला है, जहां कल दिनांक 26.12.2024 को इसका भाई कृष्णा बांसफोडे उधारी में गुटखा मांगा जो उधारी में देने से मना करने पर दोनों के बीच बहस हुआ था। कि आज दिनांक 27.12.2024 को 15:00 बजे दीपक तिवारी अपने पान ठेला में ड्रिंक कर रहा था, जिसे इसका भाई कृष्णा बांसफोड़ देखकर हमारे मोहल्ले में ठेला खोलकर ड्रिंक कर रहा है, बोलने पर दीपक तिवारी अपने भाई आशीष तिवारी को बुला लिया और कल हुए बहस को लेकर बांस क डण्डा से मारते हुए घसीटकर सुलभ के पास ले गया, और जान से मारने की नियत से दीपक तिवारी ने चाकू से इसके भाई कृष्णा के पेट में मारकर प्राणघातक हमला किया, तब इसका भाई मनीष बांसफोड़ छुड़ाया यदि नहीं छुड़ाता तो और चाकू मार कर जान से खत्म कर देते। कृष्णा बांसफोड़ को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेण्ड्री में भर्ती कराना बतायी। कि रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अप0क्र0 780/24 धारा 296, 109, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय बेरठ के नेतृत्व मे आरोपियों के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी 01 दीपक तिवारी पिता राम मिलन तिवारी उम्र 35 वर्ष साकिन प्रायमरी स्कूल के पास राम नगर मोतीपुर ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 02 आशीष तिवारी पिता राम मिलन तिवारी उम्र 30 वर्ष साकिन प्रायमरी स्कूल के पास राम नगर मोतीपुर ओ0पी0 चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार चाकू एवं बांस का डण्डा तथा एक स्कुटी क्रमांक सी.जी. 08 बी0बी0- 6643 को पेश करने पर जप्त किया जाकर दोनों आरोपियों को आज दिनांक 28.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड मे भेजा गया।

घूम-घूमकर संयंत्रों में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार : आरोपियों द्वारा श्रीकर इनोवेटिव इंडस्ट्रीज कंपनी दुलदुला एवं अर्थ स्टहल एंड एलॉयज लिमिटेड कंपनी दुलदुला में चोरी की घटना को दिया गया अंजाम

- -आरोपियों द्वारा श्रीकर कंपनी में 10,000 कीमत मूल्य का 30 नग सीआई लॉग्स मेटल का टुकड़ा किया गया चोरी
- -इसी प्रकार आरोपियों द्वारा अर्थ स्टहल कंपनी में ?30,000 कीमत मूल्य का 50 नग सीआई लांग्स मेटल का टुकड़ा किया गया चोरी
- -पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से संयुक्त रूप से 28,000 कीमत मूल्य का 48 नग सीआई लांग्स मेटल किया गया बरामद
- -साथ ही आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी किया गया जप्त

सिमगा-रायपुर | आरएनएस

पहला मामला- दिनांक 28.12.2024 को प्रार्थी देवेंद्र साहू उम्र 30 वर्ष निवासी हरदेवलाल पारा वार्ड नंबर 12 सिमगा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 20 एवं 21.12.2024 के दरम्यानी रात को श्रीकर इनोवेटिव इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड कंपनी ग्राम दुलदुला में अज्ञात चोर द्वारा कंपनी के अंदर घुसकर कंपनी अंदर रख करीबन 30 नग सीआई लांग्स मेटल का टुकड़ा कीमती लगभग ?10,000 को चोरी कर ले गया है। कि रिपोर्ट पर थाना सिमगा में अपराध क्र. 524/2024 धारा 331(4),305(ए),3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। दूसरा मामला- दिनांक 28.12.2024 को प्रार्थी जितेश ताम्रकार निवासी वार्ड नंबर 04 शीतल पारा सिमगा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 20 से 21.12.2024 के दरम्यानी रात को अर्थ स्टहल एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी ग्राम दुलदुला में अज्ञात चोर द्वारा कंपनी के अंदर घुसकर कंपनी के अंदर रखा करीबन 50 नग सीआई लांग्स मेटल का टुकड़ा कीमत करीब ?30,000 को चोरी कर ले गया है। कि रिपोर्ट पर थाना सिमगा में अपराध क्र. 525/2024 धारा 331(4),305(ए), 3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया दोनों प्रकरणों में थाना सिमगा पुलिस द्वारा त्वरित जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए दोनों संयंत्रों में चोरी करने वाले 02 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उपरोक्त दोनों संयंत्रों में चोरी करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपियों से चोरी का ?28,000 कीमत मूल्य का 48 नग सीआई लांग्स मेटल बरामद किया गया है। साथ ही आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल क्रमांक 6926 भी जप्त किया गया है। कि प्रकरण में दोनों आरोपियों को आज दिनांक 28.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।

आरोपियों के नाम :-
1. बॉबी गेण्डरे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम खंडुवा थाना सिमगा
2. रेखराज आडिल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम दुलदुला थाना सिमगा

SJU - Contact No. +91 9301915303 | E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसमर्पण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.डी.वर्मा, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर ने इन्हें अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

आवश्यकता

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

मुख्य बिन्दु

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। कोई भी पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

पीड़ित संपर्क करें

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चियों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विभिन्न एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में सहायता भी करेगा।
- संघ शासन तात्कालिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल विचारों पर मानव निर्मूलनों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

Address: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU